

संस्था का नाम
 पता

संस्था का नाम
 पता

संस्था का नाम
 पता

संस्था का नाम
 पता

क्र. सं.	व्यवस्थापक/संस्था का नाम/संस्था का पता	संस्था का नाम		संस्था का नाम
		संस्था का नाम	संस्था का नाम	
1	CCP-3(1+1)	CC(1+1)	CC(1+1)	CCIP-14.5-c W.E.F. Aug 2006

DEPT 5/24/92 [CCIP-TC-Part 1] 2006

- (1) संस्था का नाम
 - (2) संस्था का नाम
 - (3) संस्था का नाम
 - (4) संस्था का नाम
 - (5) संस्था का नाम
 - (6) संस्था का नाम
3. आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बतौर 'संस्था' सुविधा का निरंतर उपयोग करने वाली प्राथमिक विद्युत संधि को प्रतिक्रिया में इस निर्देशिका का अंतिम संस्करण को ध्यान में रखकर अपडेट किया जाए।
- विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वाणिज्य व्यवसायों को सम्बन्धित करने की कोई भी योजना है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन व्यवसायों के परिभाषित होने पर आपको अंततः 'संस्था' में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा, जिसका पूर्व अंतरदाहिनः अर्थ है।

संस्था का नाम
 पता

संस्था का नाम
 पता

संस्था का नाम
 पता